राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
(SSAAT), जयपुर फोन नंबर 0141–2227725, 2227033
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III 4097 Jaipur, Dated:- 23/11/21

जिला कलेक्टर,
समस्त जिला
(दौसा, करोली, झालावाड़, धौलपुर
एवं सवाई माधोपुर को छोडकर)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत लोकपाल हेतु साक्षात्कार बाबत।

आयुक्त मनरेगा योजना की विज्ञप्ति संख्या F. No. 60 (10) RD/NREGA /LOKPAL/2020-21/III Jaipur, दिनांक 23.12.2020 द्वारा 28 जिलों के लिए लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस विज्ञप्ति के क्रम में विभिन्न जिलों से उनके कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्र संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, EGS की ओर से परीक्षण उपरांत महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में अग्रेषित होकर प्राप्त हुए हैं।

इन आवेदकों के साक्षात्कार श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में गठित लोकपाल चयन समिति द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लिए जाने का निर्णय किया गया है। संभागवार/तिथिवार वीडियो कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम एवं सभी जिलों के पात्र आवेदकों की संख्या का विवरण **परिशिष्ट "1"** पर संलग्न है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सभी आवेदकों का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए निर्धारित तिथि और समय पर लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित आवेदक जिला कलेक्टर/जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे।

अतः इसके लिए आपके जिले के आवेदकों के साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में समुचित व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करावें, जिसके लिये मुख्य दिशा–निर्देश परिशिष्ट "2" पर संलग्न हैं। निर्धारित तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे से आवेदकों को उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किये गये हैं। नियत तिथि को 4.00 बजे तक उपस्थित आवेदकों की सूची बनाकर इस कार्यालय को ई–मेल DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN पर अपरान्ह 4.10 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवाया जावे। अपरान्ह 4.00 बजे पश्चात् किसी भी आवेदक को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(के0 के0 पाठक)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

Scanned with CamScanner

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III 4098 - 4107 Jaipur, Dated:- 23/11/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान, पैट्रोलियम एवं ऊर्जा विभाग सह–अध्यक्ष लोकपाल चयन समिति राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह–सदस्य सचिव, लोकपाल चयन समिति।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/आयुक्त, महात्मा गांधी नेरगा को निर्देशानुसार निवेदन है कि लोकपाल चयन संबंधी साक्षात्कार हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने का श्रम करें।
6. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT लोकपाल चयन संबंधी साक्षात्कार हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस. जिला परिषद समस्त जिला (दौसा, करोली, झालावाड़, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर को छोडकर) को भेजकर लेख है कि साक्षात्कार की तिथि के लिये जिला कलेक्टर/जिला परिषद कार्यालय के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में दो वरिष्ठ अधिकारियों के दल द्वारा समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
8. लेखाधिकारी (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष को समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
9. प्रोग्रामर, SSAAT को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, (SSAAT)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
(SSAAT), जयपुर फोन नंबर 0141–2227725, 2227033
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

परिशिष्ट – '1'

साक्षात्कार कार्यक्रम

क्र.सं.	संभाग का नाम	जिलों के नाम एवं पात्र आवेदकों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	आवेदकों की संख्या
1	अजमेर	अजमेर (23), भीलवाड़ा (24), नागौर (23) एवं टोक (07)	01.12.2021	77
2	भरतपुर	भरतपुर (11)	02.12.2021	11
	जयपुर	झुन्झुनू (29) एवं सीकर (11)		40
			योगः–	51
3	जयपुर	जयपुर (21), एवं अलवर (28)	07.12.2021	49
4	जोधपुर	जोधपुर (32), बाडमेर (12), जैसलमेर (12), एवं सिरोही (16),	08.12.2021	72
5	कोटा	कोटा (17), बांरा (16), एवं बूंदी (17)	09.12.2021	50
	जोधपुर	जालोर (15) एवं पाली (14)		29
				79
6	उदयपुर	उदयपुर (26), बांसवाड़ा (07), प्रतापगढ (06), चित्तौडगढ (03), एवं डूंगरपुर (26)	10.12.2021	68
7	बीकानेर	बीकानेर (18), चूरू (14), श्रीगंगानगर (15) एवं हनुमानगढ (24)	14.12.2021	71
			कुल योगः–	467

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, (SSAAT)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
(SSAAT), जयपुर फोन नंबर 0141–2227725, 2227033
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

परि॰ 2/1

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III　　　　Jaipur, Dated:-

जिला कलेक्टर्स के लिये साक्षात्कार संबंधी दिशा–निर्देश

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III Jaipur, दिनांक 23.12.2020 की पालना में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के क्रम में लोकपाल चयन समिति द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्षात्कार आयोजित किए जाने हैं। साक्षात्कार के विषय में संबंधित जिला कलेक्टर्स के लिए निम्नानुसार व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. आवेदकों के लिये जारी किये गये दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है जिसकी पालना सुनिश्चित करवाई जानी है।
2. संबंधित जिले/संभागवार निर्धारित तिथि/तिथियों को आवेदकों के साक्षात्कार हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित कर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावे यथा विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष के अलावा आवेदकों के पंजीकरण उपरान्त उनके बैठाने हेतु पृथक कक्ष की व्यवस्था करना, साक्षात्कार के लिये उपस्थित आवेदकों की जिलेवार सूचियां बनाकर उनकी उपस्थिति दर्ज करना और यह सूचना निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण को ई–मेल आई.डी. DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN पर अपरान्ह 4.10 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवाना और नाम पुकारे जाने पर संबंधित आवेदक को विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में भिजवाना आदि।
3. साक्षात्कार के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक गेजेट्स साथ में रखने की अनुमति नहीं होगी। अतः साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले सभी आवेदकों को अपने मोबाइल, लेपटॉप, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाईसेज/गेजेट्स जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार की रिकार्डिंग किया जाना या अन्य अनुचित साधनों के उपयोग की संभावना हो, उन्हें साक्षात्कार कक्ष में संबंधित अधिकारी के पास जमा कराने की व्यवस्था की जावें।
4. प्रत्येक वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए संभाग वार पृथक–पृथक लिंक सृजित होंगे जो साक्षात्कार के दो दिवस पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ई–मेल पर प्रेषित किये जावेंगे। उक्त लिंक का साक्षात्कार से पूर्व किसी प्रकार से दुरूउपयोग नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
5. आपके जिले के लिये पात्र आवेदकों की सूची ई–मेल द्वारा भेजी जा रही है।
6. साक्षात्कार व्यवस्था हेतु जिन अधिकारियों की टीम गठित की जाए उनके नाम, पद नाम, मोबाईल नम्बर, कार्यालय के दूरभाष संख्या निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण को दिनांक 24.11.2021 को आवश्यक रूप से भिजवाएँ, ताकि साक्षात्कार की व्यवस्था समुचित रूप से संपादित हो सके।
7. विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले प्रस्तावित साक्षात्कार के लिये जिला मुख्यालयों पर उपस्थित होने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, (SSAAT)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी

(SSAAT), जयपुर फोन नंबर 0141–2227725, 2227033

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

परि०-2/2

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III

Jaipur, Dated:-

आवेदकों के लिये साक्षात्कार संबंधी दिशा–निर्देश

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III Jaipur, दिनांक 23.12.2020 की पालना में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के क्रम में लोकपाल चयन समिति द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्षात्कार आयोजित किए जाने हैं। साक्षात्कार के विषय में संबंधित आवेदकों के लिए निम्नानुसार व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. साक्षात्कार के लिए आपको प्रेषित पत्र में अंकित साक्षात्कार कार्यक्रम में संबंधित जिले के लिए नियत तिथि और समय पर आवेदकों द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में अपरान्ह 3.00 बजे अपनी उपस्थिति दी जानी है। साक्षात्कार के लिए निर्धारित समय अपरान्ह 4.00 बजे पश्चात उपस्थिति देने वाले आवेदकों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
2. साक्षात्कार हेतु संभागवार तिथि/तिथियां निर्धारित की गई हैं जिसमे सम्मिलित जिलों ओर आवेदकों की संख्या संलग्न तालिका में उपलब्ध है।
3. साक्षात्कार के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक गेजेट्स साथ में रखने की अनुमति नहीं होगी। अतः साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले सभी आवेदकों को अपने मोबाइल, लेपटॉप, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाईसेज/गेजेट्स साक्षात्कार कक्ष में संबंधित अधिकारी को जमा कराने होंगे।
4. किसी भी आवेदक को भौतिक रूप से चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
5. प्रत्येक वीडियो कांफ्रेंस के लिए संभाग वार पृथक–पृथक लिंक सृजित होंगे जो साक्षात्कार के दो दिवस पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ई–मेल पर प्रेषित किये जावेगे।
6. विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले प्रस्तावित साक्षात्कार के लिये जिला मुख्यालयों पर उपस्थित होने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
7. साक्षात्कार के समय किसी भी आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने है। चयन उपरान्त सम्बंधित व्यक्ति से वांछित दस्तावेजात प्राप्त कर लिये जावेंगे।
8. आवेदको को कोई कठिनाइयाँ हो तो सम्बंधित जिले के साक्षात्कार व्यवस्था सम्बंधित अधिकारियों से उनके दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है। इनकी सूचना दिनांक 26.11.2021 के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT) की वेबसाईट DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN के मुख्य पृष्ठ (Home Page) पर नरेगा लोकपाल (NREGA OMBUDSMAN) मेन्यू में "नियुक्ति आदेश" सब मेन्यू में देखा जा सकता है।

(रामावतार शर्मा)

निदेशक, (SSAAT)

Scanned with CamScanner